



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक : ले.वि./एजी/2026-27/697

दिनांक : 05/10/2026

नोटिस

श्रीमान पाचार्या
महाराजी महाविद्यालय

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय सिण्डीकेट बैठक दिनांक 25.04.2025 के विनिश्चय संख्या 04 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण, निरीक्षण की विशेष जांच एवं विभागीय आन्तरिक अंकेक्षण जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की समीक्षा हेतु कुलसचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2026 को दोपहर 03.00 बजे कुलगुरु सचिवालय के सीनेट हॉल में बैठक आयोजित की गई थी। उक्त समिति की बैठक में आपके विभाग से सम्बन्धित प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से लम्बित प्रकरणों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के स्तर पर पालना रिपोर्ट संकलित नहीं की जा सकी है।

अतः इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विभाग से सम्बन्धित प्रतिनिधि की बैठक में अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कराते हुये प्रतिवेदनो की पालना रिपोर्ट लेखा एवं वित्त विभाग में आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें, ताकि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।


उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांक : ले.वि./एजी/2026-27/698-703

दिनांक : 05/10/2026

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव-कुलगुरु/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।


सहायक लेखाधिकारी-प्रथम
(अंकेक्षण अनुभाग)